22/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/ अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/7/22 को पेश है।
Abhi

14/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/ अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1/8/22 को पेश है।
Abhi

01/8/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 बावजूद रजिस्टर्ड AD के हाजिर नहीं आने पर अकेविरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी पर वकील प्रार्थी को सुना गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05/01/22 को दावा संख्या 82/2014 उनवानी भागीरथ सिंह बनाम निर्मला देवी आदि को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था। वकील प्रार्थी का मुख्य कथन था कि प्रार्थी गत पेशी दिनांक 16-12-21 को पेशी पर आया तो पूर्व अधिवक्ता

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

ने कहा कि आगामी पेशी पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अतः प्रार्थी आगामी पेशी तारीख दिनांक 05/01/22 को उपस्थित नहीं हुआ एवं प्रार्थी ने जानबूझकर लापरवाही नहीं बरती। तथा प्रार्थी के अधिवक्ता दूसरे न्यायालय में व्यस्थ होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर पूर्व वाद संख्या 84/14 को पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश फरमावें।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी ने आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी दिनांक 11/01/22 को मियाद भीतर प्रस्तुत किया गया है। हम वकील प्रार्थी के कथनों से संतुष्ट हैं अतः न्यायहित में प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी. पी. सी को स्वीकार किया जाता है तथा वाद संख्या 84/2014 उनवानी भागीरथ सिंह बनाम निर्मला देवी आदि को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

निर्णय आदिनांक 01/08/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर